न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 264 / 2012   दायर दिनांक 01.10.2012

उनवान

1. मुरलीधर पिता बालूराम महाजन मण्डोवरा आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. कैलाशचन्द्र पिता बालूराम महाजन मण्डोवरा आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—— वादीगण

बनाम

1. माधू पिता जीतू जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. जगदीश पिता मोहन जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. कालू पिता मोहन जाति जाट आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 15.02.2024

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कंपासन में आराजी खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.34 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1263 रकबा 0.03 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1264 रकबा 0.28 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1265 रकबा 0.16 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1266 रकबा 0.03 हैक्ट0 स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खातेदारी से दर्ज होकर अपने बाप—दादाओ के समय से ही कब्जे कारत में चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा में सरकारी नहर है जो वादीगण के पैतृक खातेदारी की जमीन से ही निकली हुई है। नहर के दक्षिण दिशा में वादीगण की आराजीयात की हिफाजत के लिये अपने बापदादाओं के समय से ही थोहरो की बाड कर रखी है।

यह कि वादीगण की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेशुदा आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है उसके बावजूद भी आये दिन आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित नहर के दक्षिण दिशा में स्थित थोहरा की बाड का नुकसान पहुँचाते रहते है जिनसे मवेशी वादीगण की आराजीयात में प्रवेश [illegible] नुकसान करते है एवं प्रतिवादीगण आराजीयात में दस्तन्दाजी करते है। प्रतिवादीगण को [illegible] करने के लिये निवेदन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:29 IST
Reason: SelfAttested

पर भी नहीं मानते हैं एवं लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है एवं धमकी देते है कि नहर के दक्षिण दिशा में जो थोहरो की बाड है उसको पूरा हटा देंगे।

यह कि दिनांक 19/8/2012 को दोपहर करीब 3 बजे वादी कैलाशचन्द्र अपने सिजारी को लेकर नहर के दक्षिण दिशा में स्थित थोहरो की बाड को सही करने के लिये गया तो प्रतिवादीगण ने झगडा किया एवं थोहरो की बाड़ को सही नहीं करने दिया एवं धमकी दी कि जो थोहरो की बाड बची हुई है उसको भी हटाकर रहेंगे। इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह वादीगण की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजीयात है में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित नहर के दक्षिण दिशा में स्थित थोहरो की बाड को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूँचावे एवं वादीगण को थोहरो की बाड को सही करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं नहीं करे। एवं न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी व जारी न होने की स्थिति में हम वादीगण को बेशुमार क्षति होगी जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 19/8/2012 को पैदा हुई व उसके पश्चात् निरन्तर पैदा हो रही है।

अन्त में वादीगण की प्रार्थना है कि——

अ) पक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की प्रदान की जावे कि वादवर्णित कालम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित नहर के दक्षिण दिशा में जो वादीगण की थोहरो की बाड है उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहूँचावे एवं वादीगण को थोहरों की बाड को सही करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावें।

—यह कि दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण नहर के दक्षिण दिशा में स्थित थोहरों की बाड को किसी प्रकार का नुकसान पहुॅचा देवे तो पुनः उनके खर्चे से पुनः थोहरो की बाड को लगवाई जावें ।

—हर्जा खर्चा मुकदमा, मेहन्ताना वकील आदि वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अन्य दाद जो मुफीद वादीगण हो एवं न्यायालय आप हम वादीगण को दिलाया जाना मुनासिब हो वह भी दिलाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दिनांक 19.07.2023 को बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। एकतरफा कार्यवाही होने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं मेरे बीच में समझौता हो गया है जिसकी प्रति संलग्न है। वादीगण का वादपत्र डिक्री हो जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री फरमाई जाने की कृपा करावें। साक्ष्यवादी में वादी कैलाशचन्द्र पिता बालुराम जाति महाजन मण्डोवरा तथा किशनलाल पिता शंकर जाति जटिया निवासी मुंगाना का शपथ पत्र प्रस्तुत। प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी है। व प्रदर्श–2 प्रतिवादी माधु की ओर से प्रस्तुत ईकरारनामा की प्रति है।

बहस वकील वादीगण एकतरफा सुनी गयी। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात पर जबरन प्रवेश किया जाकर थोहरो की बाड को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। हमने प्रदर्श–1 जमाबन्दी का अवलोकन किया जिसमें वाद वर्णित आराजीयात के वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब इकबालिया का अवलोकन किया। जिसमे वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो व जवाब इकबालिया के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कंपासन में आराजी खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.34 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1263 रकबा 0.03 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1264 रकबा 0.28 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1265 रकबा 0.16 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1266 रकबा 0.03 हैक्ट0 स्थित है में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करे एवं आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित नहर के दक्षिण दिशा में जो वादीगण की थोहरो की बाड है उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:36:29 IST
Reason: SelfAttested